162

Price control of medicines under category 1

*1754. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to reply to Unstarred Question 1974 given in the Rajya Sabha *on* the 25th November, 1987 and state:

(a) whether Government have recommended Tetnus Toxoid, Dip-theria, Toxoid, Diptheria Pertussis Toxoid, Triple Antigen BCG, Polio Vaccine, Typhoid vaccine and mea-sle[^] vaccine for price control under Category I;

(b) if so, when;

(c) whether all these products have been included under category I; and

(d) if so, when and if not, by when these will be included?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND- THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI MOTI LAL VORA): (a) and (b) Sin Vaccines namely D^T. DT, TT, BOG, Polio, Typhoid and Measles Vaccines were recommended by the Ministry of Health and Family Welfare on 31st July, 1987 for inclusion in category.

(c) and (d) Department of Chemicals and Petro-chemicalg which has promulgated the Drugs Price Control Order, 1987 which includes category I list of drugs has, taking into consideration several factors such as indigenous production, consumption, availability and need[^] considered it not desirable to include vaccine[^] in category I.

प्रायमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

1755 भी राम नरेस यादव : क्या मानय संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) देश भर में प्राथन्कि विद्यालयों में छात्रों की संख्याकी तुलना में राज्य-वार कितने-कितने अध्यापकों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार बच्चों की शिक्षा तथा देश में बेकारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है; ग्रीर

(ग) यदि हां, तो कब तक ग्रौर उसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० बी० नराँसह राव): (क) स्कूली शिक्षा की देखभाल मोटे तौर पर सम्बन्धित राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा की जाती हैं और इसीलिए उनके प्रपने-प्रपने राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए शिक्षक छान मनुपात के मानदण्ड भी उन्हीं के द्वारा निर्धा-रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक म्रनुसंघान प्रशिक्षण परिषद की सिफारिश यह है कि यह मनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अधिक के मनुपात से शिक्षण की कारगरता पर प्रति-कल प्रभाव पडता है।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी एकल ग्रध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों में अन्य बातों के साथ-साथ, एक अतिरिक्त अध्यापक अधिमानतः एक महिला अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए "ग्रापरेशन ब्लैक बोर्ड" की योजना शुरू की है। इसके अलावा, प्राथमिक स्कूलों को स्थापित करने और सम्बन्धित प्राधिकारी होने के नाते राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें यथा ग्रावश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष ग्रध्यापकों के ग्रातिरिक्त पद मजूर करती हैं।